न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी – बृजेश गुप्ता, R.A.S.)

मूल प्रकरण संख्या – 31/2012(वाद)
बाद रिव्यू प्रक0स10 – 97/2021
दायर दिनांक – 18/10/2021
निर्णय दिनांक – 18/10/2021
संशोधित निर्णय दिनांक – 12/06/25

अनवान

1. कमला बेवा रतनलाल जाट निवासी पछमता तह. रेलमगरा

बनाम वादीया

1. उदा पिता चतुरभुज जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   1/1 गोवर्धन पिताउदा जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   1/2 पृथ्वीराज पिताउदा जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   1/3 बद्रीलाल पिता उदा जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. घीसी बेवा रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति उदयराम जाट निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चितोडगढ
3. शान्ति पिता रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति बद्रीलाल जाट निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. रुकमण उर्फ तारा रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति पुरण जाट निवासी निलोद तहसील कपासन जिला चितोडगढ
5. पारसी रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति मदनलाल जाट निवासी मण्डपिया तहसील जिला चितोडगढ
6. मीना पिता रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. शंकरलाल पिता लालूजाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   7/1 पन्नालाल पिता शंकरलाल जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. लोबु पिता लालु जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. उगमी पिता लालु पत्नी पृथ्वीराज जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. बद्रीलाल पिता खेमराज सालवी निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दिनांक 12/06/25

वाद बाबत् विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ.

सहायक कलक्टर

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी – बृजेश गुप्ता, R.A.S.)

मूल प्रकरण संख्या – 31/2012(वाद)
बाद रिव्यू प्रक0स0 – 97/2021
दायर दिनांक – 18/10/2021
निर्णय दिनांक – 18/10/2021
संशोधित निर्णय दिनांक – 12/06/25

अनवान

1. कमला बेवा रतनलाल जाट निवासी पछमता तह. रेलमगरा

वादीया

बनाम

1. उदा पिता चतुरभुज जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   1/1 गोवर्धन पिताउदा जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   1/2 पृथ्वीराज पिताउदा जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
   1/3 बद्रीलाल पिता उदा जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. घीसी बेवा रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति उदयराम जाट निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चितोडगढ
3. शान्ति पिता रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति बद्रीलाल जाट निवासी सांसेरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
4. रुकमण उर्फ तारा रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति पुरण जाट निवासी निलोद तहसील कपासन जिला चितोडगढ
5. पारसी रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल पति मदनलाल जाट निवासी मण्डपिया तहसील जिला चितोडगढ
6. मीना पिता रायचन्द उर्फ रामचन्द्र जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
7. शंकरलाल पिता लालूजाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द मृतक के बजाय
   7/1 पन्नालाल पिता शंकरलाल जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
8. लोबु पिता लालु जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
9. राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
10. उगमी पिता लालु पत्नी पृथ्वीराज जाट निवासी पछमता तहसील रेलमगरा हाल निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
11. बद्रीलाल पिता खेमराज सालवी निवासी पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीगण

दिनांक 12/06/25

वाद बाबत् विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

: : संशोधित निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम पछमता तहसील रेलमगरा में वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 321, 392, 393 कुल किता–03 कुल रकबा 10–09 बीघा स्थित है। खसरा संख्या 321 आ.चाह व इसका विभाजन नही चाह रहे है, न ही हो सकता है किन्तु खसरा संख्या 392 व 393 का कोई विभाजन नही हुआ है एवं विभाजन नही होने से भूमियों का विकास संभव नही है एवं लगान जमा कराने में भी काफी कठिनाईयां हो रही है तथा विभाजन के लिये कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 मना कर रहे है तथा आज से एक माह पूर्व भी विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया ऐसी सुरत में वादीया के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद लाया जाकर भूमियों का विधिवत् रूप से विभाजन करा सकें एवं राजस्व रेकार्ड में स्वतन्त्र अंकन करवा सकें एवं विभाजन के बाद वादीया को प्राप्त होने वाली भूमियों में प्रतिवादीगण कोई दखलन्दाजी नही करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा भी वादीया के लिये प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 08 के विरूद्व प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी सुरत में यह वादीया का धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यह वादपत्र प्रस्तुत है। विभाजन नही होने से बार–बार कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पडता है व भूमियों का विकास भी संभव नही है। वादीयां का वाद हेतु आज से एक माह पूर्व जब वादीया ने प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 08 को भूमियों का विभाजन कराने को कहा व मना कर दिया तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 06 रामचन्द्र से रायचन्द के नाम से भी जाना जाता था जिसके पिता का नाम लालु है का स्वर्गवास आज से करीबन 20 वर्ष पूर्व हो चुका है के वारिस है जिसमें प्रतिवादी संख्या 02 पत्नि थी जो उनके स्वर्गवास के बाद दुसरा विवाह उदयराम जाट निवासी धमाणा के साथ कर लिया है किन्तु उसे भी पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05, 06 स्वर्गीय रामचन्द्र उर्फ रायचन्द पिता लालु की पुत्रियां है किन्तु राजस्व रेकार्ड में इन आराजियात (वादग्रस्त) में इनका का नाम रामचन्द्र नही लगने से व इस मामलें में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाये जा रहे है, इन वारिसों के अलावा स्वर्गीय रामचन्द्र उर्फ रायचन्द पिता लालु जाट निवासी पछमता के अन्य कोई वारिस नही है। वादीया का आराजी संख्या 392, 393 में 1/12 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 09 भूमि धारक होने से उन्हे इस वाद में पक्षकार बनाये गये है अन्यथा उनके विरूद्व कोई दाद नही चाही जा रही है। अतः प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 08 के विरूद्व इस आशय की डिक्री पारित फरमायी जावें कि ग्राम पछमता की वर्तमान आराजी संख्या 392 व 393 का विधिवत् रूप से हिस्सेनुसार विभाजन करवाया जाकर वादी को उसके 1/12 हिस्से का स्वतन्त्र आधिपत्य दिलाया जावें एवं राजस्व अभिलेख में स्वतन्त्र अंकन की जावें। इस हेतु प्रारम्भिक व अन्तिम डिक्री जारी फरमायी जावें। बाद विभाजन वादीया को प्राप्त होने वाले हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 08 को कोई किसी प्रकार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

दखलन्दाजी नही करें इस हेतु उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबन्धित फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 08 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये, प्रतिवादी संख्या 09 भूमिधारी होने फोर्मल पक्षकार बनाया गया जवाब की आवश्यकता नही रही तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया कि वादपत्र की कलम संख्या 01 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया है उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया एवं प्रतिवादीगण के साथ प्रतिवादी संख्या 10 का भी हक निहीत है जिसके लिये प्रतिपवाद अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र की कलम संख्या 02 का विवरण जिस रूप में वर्णित किया उस रूप में गलत होकर अस्वीकार है। वादपत्र की कलत संख्या 03 का विवरण सही होकर स्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 04 का विवरण में वादीया के वाद का कोई हेतुक उत्पन्न नही हुआ है किन्तु वादीया प्रतिवादी संख्या 10 को अपनी पैतृक सम्पत्तियों से वंचित करने के लिये उक्त वाद मिथ्या तथ्यों पर आधारित पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वादपत्र की कलम संख्या 05 का विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र की कलम संख्या 06 का विवरण प्रतिवादी संख्या 10 से सम्बन्धित नही होने से जवाब की आवश्यकता नही है। वादपत्र की कलम संख्या 07 व राजस्व रेकार्ड में गलत हिस्सा दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 10 भी अपना हिस्सा घोषित कराने के लिये अधिकारी है। वादपत्र की कलम संख्या 08 कानूनी होने से जांच से सम्बन्धित है। वादपत्र की कलम संख्या 09 के विवरण में प्रार्थना के अनुसार अलग से प्रतिपवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा घोषित किये जाने के बाद ही वादीया अपने हिस्से का विभाजन करा सकती है अन्यथा वादीया को वाद खारिज होने योग्य है तथा प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाब मय प्रतिपवाद के प्रस्तुत किया कि ग्राम पछमता पटवार हल्का पछमता तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 321, 392 व 393 कुल किता–03 कुल रकबा 10–09 बीघा स्थित है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 07, 08 व 10 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 06 तक का 1/15 हिस्सा बनता है परन्तु 03 से लगायत 06 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 07, 08 ने ग्राम पंचायत से मिलकर नामान्तरकरण उनके नाम पर ही खुलवा लिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 10 का भी हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 10 स्वर्गीय लालु पिता गोकल की जायन्दा पुत्री है व उनके मृत्यु से पहले हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम प्रभाव में आ चुका था जिससे हिन्दु अविभक्त भूमियों में पुत्रियों को अपने जन्म से पुत्र के समान अधिकार प्राप्त है। प्रतिपवाद की कॉलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 10 का 1/15 हिस्सा बनता है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नही होने वादीया एवं अन्य प्रतिवादी उक्त भूमियों को बेचने पर आमादा है जिससे प्रतिवादी संख्या 10 को प्रतिपवाद उक्त भूमियों को बेचने पर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

आमादा है जिससे प्रतिवादी संख्या 10 को प्रतिपवाद की कॉलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में अपना 1/15 हिस्सा घोषित कराने की अधिकारिणी है। प्रतिपवाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में प्रतिवादी तदनुसार विभाजन कराया जावें। क्योंकि बिना विभाजन के भूमियों का विकास संभव नही है एवं लगान इत्यादि जमा कराने में भी पक्षकारों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। प्रतिपवाद की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में आये प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से, बाधा, दखलन्दाजी कारित नही करें एवं न ही किसी अन्य नौकर, चाकर आदि से करावें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 10 के प्रतिपवाद का हेतुक अगस्त 2012 में प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा वादीया एवं प्रतिवादीगण को अपना हिस्सा अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने हेतु कहा गया किन्तु इंकार कर देने से प्रथम बार उत्पन्न हुआ तथा उक्त इंकार के बाद प्रतिवादी संख्या 10 ने वादीया एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व एक घोषणा का वादपत्र सहायक कलक्टर रेलमगरा में प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 10 के अधिवक्ता राजसमन्द के न्यायालय में पैरवी हेतु चले जाने से एवं पत्रावली तामिल हेतु नियत थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 10 भी उपस्थित नही हुई जिससे प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो गया। जिसको पुनः नम्बर पर लेने के लिये आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया इस दरमियान प्रतिवादी संख्या 10 को उक्त वादपत्र की जानकारी हुई जिसमें आदेश 01 नियम 10 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा आवश्यक पक्षकार के रूप में जोडा गया जिससे प्रतिपवाद का प्रतिपवाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिपवाद की कलम संख्या 01 मे वर्णित भूमियों में प्रतिवादी संख्या 10 को 1/15 हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्रचलित फरमाई जावें। प्रतिपवाद की कलम संख्या 01 में प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से में आई भूमियों में विभाजन की डिक्री फरमाई जावें। प्रतिवादी संख्या 10 के पक्ष में एवं वादीया एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित फरमाई जावें की प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, दखलन्दाजी कारित नही करें। पत्रावली प्रतिपवाद के जवाब में नियत थी कि राजस्व न्याय आपके द्वार–2017 के तहत दिनांक 18/05/2017 को आयोजित कोर्ट कैम्प पछमता पर रखी गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 07 व 10 ने स्वयं उपस्थित होकर एक इकरार नामा एवं राजीनामा मय मय बंटवारा फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तावित प्रस्ताव के प्रस्तुत किया गया, पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं प्रतिवादी संख्या 10 का प्रतिपवाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 10 को 1/15 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया एवं पक्षकारान के मध्य विभाजन के आदेश दिये गये।

उक्त आदेश से असंतुष्ठ होकर कर त्रुटिपूर्ण आदेश को सही कराये जाने हेतु प्रतिवादी उगमी पिता लालु जाट निवासी गिलुण्ड में न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पुनर्विलोकन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सी.पी.सी. सपठित धारा 229 राजस्थान

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 18/10/2021 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित किये जाने के आदेश पारित किये जाकर प्रार्थना पत्र को मूल वाद पत्रावली के साथ संलग्न किया गया।

प्रकरण में दौराने वाद अन्य पक्षकार को जोडा कर संशोधित शीर्षक प्रस्तुत हो अब पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होकर पक्षकारान द्वारा अपना राजीनामा प्रस्तुत किया गया। अतः प्रकरण में उभय पक्षों के राजीनामा पर सुना जाकर प्रकरण में राजीनामा अनुसार संशोधित आदेश व डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

: : संशोधित आदेश : :

अतः प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामे अनुसार संशोधित आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम पछमता के आराजी संख्या 321, 392, 393 कुल किता–03 कुल रकबा 10–09 बीघा में से पक्षकारान के वादग्रस्त भूमियों में राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति से विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि का मिट्स एण्ड बोण्ड्स पद्वति अनुसार विभाजन किया जाकर विभाजन योजना दो–दो प्रतियों में मय नक्शा ट्रेस में पृथक–पृथक रंग भरे जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप प्रारम्भिक डिक्री पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 12/06/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजेश गुप्ता)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा